न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार, सीकर ग्रामीण बनाम कालाचंद

किस्म मुकदमा धारा 131, 132 एलआर एक्ट मु.नं. 506 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
6/11/25 LRCMS/2025/944	प्रकरण में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट–04 दिनांकः 10.08.2016 व प.3 (17) राज–6/ 2021/पार्ट/91 दिनांकः 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर, दिनांकः 06.09.2024 की पालना में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/3744 दिनांक 04.11.2025 के द्वारा आवागमन में सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम माण्डोता पटवार मण्डल माण्डोता भू.अ.नि. वृत माण्डोता तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के आराजी खसरा सं. 2399/12 में से प्रचलित रास्ता का राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व अभिलेख एवं नजरी नक्शा रिपोर्ट पत्रादि के साथ प्राप्त हुआ है। सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रस्ताव में पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित/प्रचलित सार्वजनिक रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दिखाया गया है। उक्त प्रस्ताव में भू. अभिलेख निरीक्षक वृत माण्डोता की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट पटवारी सार्वजनिक रास्ता जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। रास्ता हेतु रिकॉर्ड में अमल किये जाने बाबत प्रस्तावित है तथा मुताबिक तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम माण्डोता पटवार मण्डल माण्डोता भू.अ. नि. वृत माण्डोता तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के आराजी खसरा सं. 2399/12 में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में से दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की है। सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रस्तावित रास्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव मय दस्तावेजात से जाहिर है कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट–04 दिनांकः 10.08.2016 व प.3 (17) राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांकः 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर, दिनांकः 06.09.2024 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाकर ही हस्तगत रास्ता के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण से प्राप्त उक्त रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता [illegible] पर चालू है। नजरी नक्शा में भी मौके पर वर्तमान में रास्ता [illegible] होना बताया है। राज्य सरकार द्वारा आमजन व खातेदारान पूर्व से प्रचलित रास्तों को गै.मु. दर्ज किया जाकर खातेदारान को राहत प्रदान करने की मंशा रखती है। राज्य सरकार द्वारा आमजन व खातेदारों को पूर्व से प्रचलित रास्तों को गै.मु. द[र्ज] किया जाकर संबंधित खातेदारान की आराजी की खातेदारी में ही रखा जाकर को राहत प्रदान करने की मंशा रखती है। अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/3744

उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार, सीकर ग्रामीण बनाम सामान्य

किस्म मुकदमा प्रपत्र क-धा. 131, 132 LR Act मु.नं. 506 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
	दिनांक 04.11.2025 के द्वारा प्रस्तुत अभिशंषित रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः राज्य सरकार के खातेदारान को रास्ते के संबंध में दिये गये आदेशों व निर्देशों के मध्यनजर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ. /2025/3744 दिनांक 04.11.2025 के द्वारा अभिशंषित संलग्न रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम माण्डोता पटवार मण्डल माण्डोता भू.अ.नि. वृत माण्डोता तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के आराजी खसरा सं. 2399/12 में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि (प्रस्ताव में अंकित रकबे के अनुसार) रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावें एवं प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। गै.मु. रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान् के खाते में ही बनी रहेगी। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ. /2025/3744 दिनांक 04.11.2025 से प्राप्त हस्तगत रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:03 IST
Reason: SelfAttested